

- सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) के साथ-साथ माता-पिता/ अभिभावक/ मित्र या अन्य व्यक्ति नाबालिग की ओर से विवाह को रद्द कर सकते हैं

परिस्थितियां, जिसके तहत बाल विवाह को अमान्य और शून्य माना जाता है

- अगर बच्चे को उसके वैध अभिभावक से दूर ले जाया जाता है और उसकी शादी की जाती है
- यदि बच्चे की शादी बलपूर्वक या धोखे से कराई जाती है
- यदि बच्चा विवाह के उद्देश्य से बेचा जाता है

अगर बच्चा शादीशुदा है और फिर बेच दिया जाता है या उसका दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) की जाती है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है

बाल विवाह को संबोधित करने में शिक्षकों की भूमिका

बाल विवाह रोकने के लिए सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) को सहायता प्रदान करने हेतु प्रत्येक स्कूल शिक्षक को धारा 16 के तहत उत्तरदायी बनाया गया है। बाल विवाह रोकने में स्कूल के शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं -

शिक्षक क्या कर सकते हैं?

- जैसे ही आपको पता चले कि बाल विवाह किया जा रहा है या होने वाला है, निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें। पुलिस हर थाने में बनाई गई दैनिक डायरी में एक प्रविष्टि करती है और एक एफ०आई०आर० दर्ज करती है
- शिकायत दर्ज करने के लिए निकटतम न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास जायें। शिकायत मौखिक या लिखित हो सकती है या फ़ोन कॉल, एक पत्र या टेलीग्राम, ई-मेल, फैक्स या शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक साधारण हस्तलिखित नोट के रूप में हो सकती है
- यदि पुलिस स्टेशन दूर है या आस-पास के क्षेत्र में कोई न्यायालय नहीं है, तो बच्चों के साथ काम करने वाले निकटतम गैर-सरकारी संगठन से भी सहायता ली जा सकती है

- स्कूल में उन बच्चों पर सीधी नज़र रखें, जो स्कूल में अपनी नियमित उपस्थिति रखकर बाल विवाह के संभावित शिकार हो सकते हैं
- यदि स्कूल में बच्चे की उपस्थिति चिंताजनक है और उसकी शादी होने की संभावना है, तो तुरंत बच्चे के घर पर जायें
- माता-पिता से बात करें और उन्हें शादी के नकारात्मक परिणामों के बारे में बताकर उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वे अपने बच्चों की जल्दी शादी न करें
- माता-पिता को बाल विवाह के कानून के बारे में बतायें कि यह कानून बाल विवाह को अपराध घोषित करता है और उन माता-पिता के लिए कानूनी परिणामों को प्रस्तुत करें, जो अपने बच्चों की शादी करवाते हैं
- स्कूल में बच्चों को शिक्षित करें कि बाल विवाह कानून के तहत प्रतिबंधित है
- चित्र, लेखन, नाटक और चर्चा जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से बाल विवाह के बारे में अपनी चिंताओं और विचारों को व्यक्त करने में बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें
- विशेष सत्र आयोजित करें और बाल विवाह के बारे में बात करने के लिए पुलिस और सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) के सदस्यों को आमंत्रित करें।


बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA
सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत | SAFE CHILDHOOD, SAFE INDIA

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA
सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत | SAFE CHILDHOOD, SAFE INDIA

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006



बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह का अर्थ ऐसा विवाह है, जिसमें दूल्हा या दुल्हन एक बच्चा है।

बच्चा एक ऐसा व्यक्ति है, जो -

- ☞ यदि महिला है - उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
- ☞ यदि पुरुष है - उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

शिकायत कौन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति, जिसे इस बात का पता है या विश्वास करने का कोई कारण है कि बाल विवाह होने वाला है, शिकायत कर सकता है।

कहाँ रिपोर्ट करें?

- ☞ सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी)
- ☞ चाइल्डलाइन - 1098
- ☞ पुलिस - 100
- ☞ महिला हेल्पलाइन
- ☞ राष्ट्रीय महिला आयोग
- ☞ जिला अधिकारी
- ☞ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय



किसको सजा हो सकती है?

- ☞ नाबालिग लड़की से शादी करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क पुरुष को सजा हो सकती है
- ☞ जो भी बाल विवाह कराते हैं, जैसे पुजारी या धार्मिक प्रमुख, जो बाल विवाह के समारोह की अध्यक्षता करते हैं
- ☞ जो कोई भी बाल विवाह आयोजित करता है, जैसे - माता-पिता, अभिभावक या कोई भी, जिस पर उस बच्चे के संरक्षण का दायित्व है, जिसकी शादी हो रही है
- ☞ जो कोई बाल विवाह का निर्देशन करता है या उसके लिए उकसाता है, जैसे कि कोई रिश्तेदार, जो बाल विवाह का प्रस्ताव लाता है या मध्यम व्यक्ति, जो बाल विवाह करने में मदद करने के लिए दो परिवारों के बीच हस्तक्षेप करते हैं

- ☞ जो कोई भी बाल विवाह संपन्न करने में किसी भी तरह से भाग लेता है, वह बाल विवाह की अनुमति देता है, जैसे कि - मेहमान, कैटर, टेंट, प्रदाता, डेकोरेटर या कोई भी, जिसने बाल विवाह को संपन्न करने में अपनी सेवाएं दी हैं
- ☞ जिस किसी को भी पता है कि बाल विवाह होने जा रहा है और वह उसकी रिपोर्ट करने या उसे रोकने में विफल रहता है

सजा

- ☞ 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों
- ☞ इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं

अपवाद

- ☞ किसी भी महिला को कारावास की सजा नहीं होगी

क्या किया जा सकता है, यदि बाल विवाह निकट भविष्य में होने वाला है, वर्तमान में हो रहा है, या पहले ही हो चुका है

अ.यदि बाल विवाह निकट भविष्य में होने वाला है, तो

- ☞ उन बच्चों के घर जायें, जिनका विवाह होने जा रहा है और उनके माता-पिता को बताएं कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है तथा उन्हें सलाह दें कि विवाह का आयोजन न करें
- ☞ अभिभावकों/ रिश्तेदारों/समुदाय के बुजुर्गों से बात करें तथा उन्हें जागरूक करें और कोशिश करके उन्हें इस बात के लिए सहमत करें कि वे बाल विवाह के खिलाफ जा सकें
- ☞ बच्चे से बात करने की कोशिश करें, बच्चे को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराएं और बच्चे को बताएं कि विवाह की उचित उम्र से कम उम्र में विवाह न करना उसका अधिकार है
- ☞ बाल विवाह के खिलाफ माता-पिता को समझाने के लिए पंचायत, स्थानीय नेताओं, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों/ लोक सेवकों या स्थानीय एन०जी०ओ० की सहायता लें
- ☞ पुलिस को शिकायत करें और पुलिस की सहायता से अपराधी को गिरफ्तार करें। पुलिस के पास अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत शक्तियां हैं ताकि संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी कर सकें

- ☞ यदि माता-पिता ने बाल विवाह रोकने के लिए मना कर दिया, तो धारा 13 के तहत निषेधाज्ञा आदेश की मांग करते हुए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज कराएं

ब. यदि विवाह वर्तमान में हो रहा है, तो:

- ☞ शादी होने के सबूत एकत्र करें (जैसे कि तस्वीरें, निमंत्रण, शादी के उद्देश्यों के लिए किये गए भुगतान की रसीदें)
- ☞ उन अपराधियों की एक सूची बनाएं, जो विवाह की व्यवस्था करने, उसमें प्रदर्शन करने, अपना समर्थन देने, प्रोत्साहित करने, मदद करने तथा उसमें शामिल होने के लिए जिम्मेदार हैं
- ☞ पुलिस को शिकायत करें और पुलिस की सहायता से अपराधियों को गिरफ्तार करें
- ☞ सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) को शिकायत करें
- ☞ अक्षय तृतीया जैसे सामूहिक बाल विवाहों के अवसर पर जिलाधिकारी को सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) की शक्तियां दी जाएं

स.यदि बाल विवाह पहले ही हो चुका है:

- ☞ हो चुके विवाह के सबूत एकत्रित करें (जैसे कि तस्वीरें, निमंत्रण, विवाह के प्रयोजनों के लिए किये गए भुगतान की रसीद, गवाह आदि)
- ☞ उन अपराधियों की एक सूची बनाएं, जो विवाह की व्यवस्था करने, उसमें प्रदर्शन करने, अपना समर्थन देने, प्रोत्साहित करने तथा उसमें शामिल होने के लिए जिम्मेदार थे
- ☞ पुलिस को शिकायत करें और पुलिस की सहायता से अपराधियों को गिरफ्तार करें
- ☞ याद रखें कि ऐसे अपराधों में शामिल महिलाएं भी अपराधी हैं, हालांकि उन्हें कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। इसलिए जहाँ आवश्यक हो, गिरफ्तारी की जानी चाहिए। महिला अपराधियों पर जुर्माना लगाने का फैसला अदालत करेगी
- ☞ कोई भी व्यक्ति, जो अपनी शादी के समय बच्चा था, अपनी शादी को समाप्त कर सकता है
- ☞ विवाह शून्य घोषित करने के लिए याचिका बालक-बालिका द्वारा वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात 2 वर्ष पूरा करने के भीतर दायर की जा सकती है